अध्याय I

राजस्व विभाग (सीमा शुल्क राजस्व)

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण एवं ऋणों के पुन: भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। तालिका 1.1 केन्द्र सरकार की प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 53,67,988.99 करोड़[1] की राशि बनती हैं। इसमें सें ₹ 10,36,460.45 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित इसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 13,99,951.05 करोड़ की है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

	₹ करोड़
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	13,47,437.62
i. प्रत्यक्षकर प्राप्तियां	*5,58,989.47*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*4,77,470.98*
iii. सहायता अनुदान और अंशदान सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*3,10,977.17*
ख. विविध पूँजी प्राप्तियां	25,889.80
ग. श्रण एवं अग्रिम की वसूली	26,623.63
घ. सार्वजनिक श्रण प्राप्तियां	39,68,037.94
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**53,67,988.99**
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग ₹ 2,91,546.61 करोड़ सम्मिलित है।	

1.2 अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप

अप्रत्यक्ष कर स्वयं को आपूर्ति के माल/सेवाओं के मूल्य से जोड़ते हैं और इस अर्थ में वे व्यक्ति-विशिष्ट के बजाय लेन-देन विशिष्ट होते हैं। संसद के अधिनियम के अंतर्गत लागु किए गए मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क हैं:

क) सीमा शुल्क: सीमा शुल्क भारत में आयात हुए माल और भारत के बाहर नियति हुए निश्चित माल पर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 1 के 83 प्रविष्टि)।

[1] स्रोत: वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखे। आंकड़े अन्तरिम हैं। अन्य कर सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां एवं अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2012-13 के संघ वित्त लेखे से तैयार किए गए है।

ख) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** शुल्क भारत में निर्माण अथवा उत्पाद हुए माल पर लगाया जाता है। संसद के पास मानवीय खपत के लिए अधिक पेय, अफीम, भांग एवं अन्य मादक औषधियां एवं मादक द्रव्य को छोड़ कर तम्बाकू और भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति है, लेकिन औषधीय एवं मध वाले प्रसाधन पदार्थ, अफीम आदि सम्मिलित है। (संविधान की सातवी अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)

ग) **सेवा पर कर:** सेवा कर योग्य क्षेत्र के अंदर प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है (सविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)।[2]

इस अध्याय में वित्त लेखों, विभागीय लेखा तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रासंगिक आकड़ों, विभागीय एमआईएस के डाटा का प्रयोग करके सीमा शुल्कों में प्रव्तियों, संघटन तथा प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

एमओएफ का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य कर रहा है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नाम के दो सांविधिक बोर्ड द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघ करों संबंधित सभी मामलों को समन्वित करता है। सीमाशुल्क लगाने अथवा संचयन संबंधित मामले सीबीईसी द्वारा देखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त डीओआर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने की सीमा तक), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी मुद्रा जोड़-तोड़ (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम 1976 (एसएएफईएमए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (एफईएमए) और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं

[2] संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003, जिसे 15 जनवरी 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, अनुच्छेद 268क, अधिनियम 270 के संशोधन और सातवीं अनुसूची की सूची 1 में सेवा पर कर प्रविष्टि 92 ग के अंतवेष के लिए प्रस्तुत/प्रविष्ट की गई थी हालांकि अधिनियम अभी लागु होता है।

तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), काला धन शोधन/हवाला अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) एवं खूफिया, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्धन्यायिक कार्यों के लिए जुड़े हुए/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी उत्तरदायी है।

सीबीइसी का समग्र संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 68,795[3] है। सीबीइसी का सगठनात्मक ढांचा **परिशिष्ट 1** में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृति एवं संघटन

वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष वृद्धि प्रस्तुत करती है (तालिका 1.2)। पिछले पांच वर्षों में जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों का शेयर लगभग 5 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व[4] में अप्रत्यक्ष करों का शेयर अवधि के दौरान लगभग 44-45 प्रतिशत तक स्थिर रहा। इस अवधि के दौरान जीडीपी बढ़कर 80 प्रतिशत तथा कुल राजस्व कर बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया था। जीडीपी वित्तीय वर्ष 09 में ₹ 56.30 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 13 में ₹ 101.13 लाख करोड़ तक बढ़ा जबकि अप्रत्यक्ष कर वित्तीय वर्ष 09 में ₹ 2.70 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 13 में ₹ 4.75 लाख करोड़ तक बढ़ गया।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व. 09	2,69,988	56,30,063	4.80	6,05,298	44.60
वि.व. 10	2,45,373	64,77,827	3.79	6,24,527	39.29
वि.व. 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि.व. 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि.व. 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	45.80

स्रोत: वित्तीय लेखे, वि.व.13 के आंकड़े अंतरिम हैं।

[3] 31 मार्च 2013 तक मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

[4] संबंध वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे, जीडीपी फरवरी 2013 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़े

1.5 प्राप्त सीमा शुल्क प्राप्तियों की वृद्धि-प्रवृतियां और संरचना

जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

नीचे दी गई तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व तथा जीडीपी की वृद्धि प्रस्तुत करती है। सीमाशुल्क राजस्व ने जीडीपी के प्रतिशत के रूप वित्तीय वर्ष 12 और वित्तीय वर्ष 13 के दौरान गिरावट दिखाई है। जबकि अप्रत्यक्ष करों के शेयर के रूप में सीमाशुल्क राजस्व काफी हद तक वित्तीय वर्ष 10 में 33.96 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 12 में 38.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, किंतु वित्तीय वर्ष 13 में यह 34.83 प्रतिशत तक घट गया।

तालिका 1.3: सीमाशुल्क प्राप्तियों की वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	जीडीपी	कुल कर राजस्व	कुल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियां	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	कुल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व. 09	56,30,063	6,05,298	2,69,988	99,879	1.77	16.50	36.99
वि.व. 10	64,77,827	6,24,527	2,45,373	83,324	1.29	13.34	33.96
वि.व. 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	1,35,813	1.74	17.12	39.32
वि.व. 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	1,49,328	1.66	16.80	38.03
वि.व. 13	1,01,13,281	10,36,460	4,74,728	1,65,346	1.63	15.95	34.83

स्रोत: वित्त लेखे, वि.व. 13 आंकड़े अंतरिम हैं।

वित्त मंत्रालय, सीबीइसी (मंत्रालय) के कहा है कि (मार्च 2014) एक वित्तीय वर्ष में सीमा शुल्क राजस्व का एकत्रीकरण/संचयन कर नीति, आयात की मात्रा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं एवं आयातित माल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का विनिमय दर जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

1.6 वित्त वर्ष 09 से 13 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

निर्यात में वित्तीय वर्ष 12 में 28.26 प्रतिशत (₹ 3,23,037 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 11.48 प्रतिशत (₹ 1,68,360 करोड़) वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1.4) आयात में इसी अवधि के दौरान 39.32 प्रतिशत (₹ 6,61,996 करोड़) से 13.80 प्रतिशत (₹ 3,23,699 करोड़) तक की वृद्धिदर्ज की गई है।

तालिका 1.4: भारत का निर्यात एवं आयात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि %	निर्यात	वृद्धि %	व्यापार असंतुलन
वि.व. 09	1374436	35.77	99879	-4.07	840755	28.19	-533681
वि.व. 10	1363736	-0.78	83324	-16.58	845534	0.57	-518202
वि.व. 11	1683467	23.45	135813	62.99	1142922	35.17	-540545
वि.व. 12	2345463	39.32	149328	9.95	1465959	28.26	-879504
वि.व. 13	2669162	13.80	165346	10.73	1634319	11.48	-1034843

स्रोत: ईएक्सआईएम डाटा, वाणिज्य विभाग

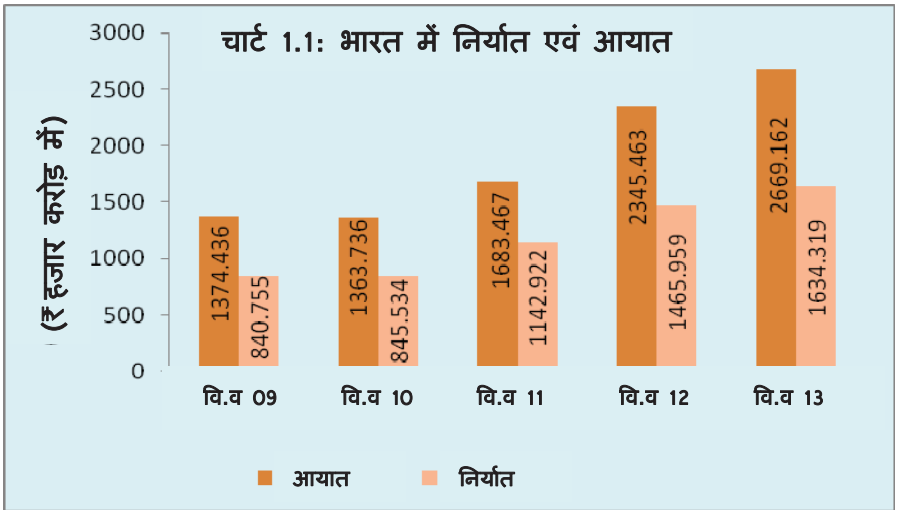

पिछले पाँच वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण आयात पैट्रोलियम उत्पाद, सोना, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, मंहगे-मोती एवं कम मंहगे पत्थर, मशीनरी (विद्युत एवं इलैक्ट्रॉनिक को छोड़ कर) रहे। पेट्रोलियम उत्पाद ने पिछले साल की तुलना में वित्तीय वर्ष 13 में 20 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जबकि सोने ने इसी अवधि के दौरान लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है ये उपयोगी वस्तुएँ वित्तीय वर्ष 13 के दौरान कुल आयात का लगभग 44 प्रतिशत थी।

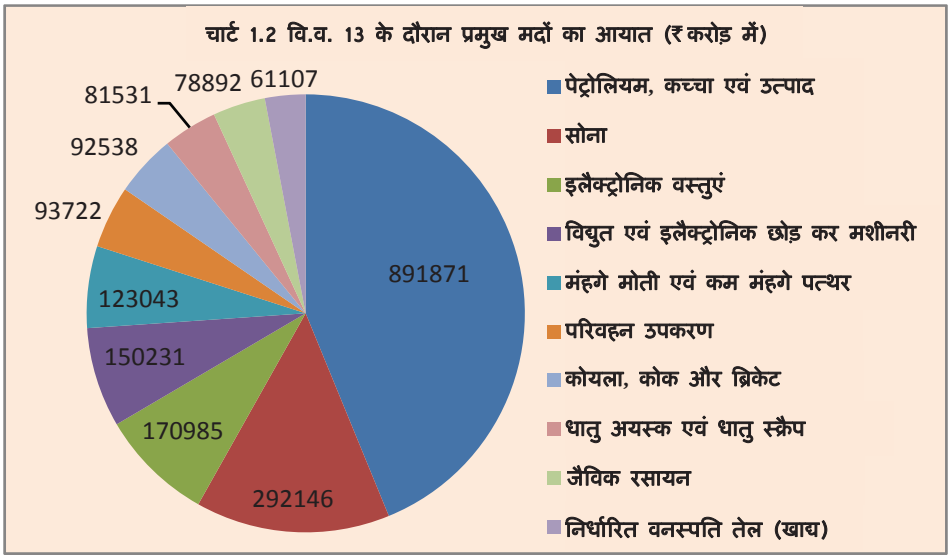

इसी प्रकार से, पिछले पांच वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पाँच निर्यात वस्तुएँ पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद), रत्न तथा गहने, यातायात उपकरण, मशीनरी तथा औजार एवं दवाईयाँ-फार्मास्यूटिकल्स तथा अच्छे रसायन थीं। पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद) ने पिछले साल की उपेक्षा वित्तीय वर्ष 13 के दौरान 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी, जबकि रत्न एवं गहने ने इसी अवधि के दौरान 10 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान कुल निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत ये उपयोगी वस्तुएँ थीं।

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान भारत को निर्यात करने वाले पाँच देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीटजरलैड, सऊदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमेरिका थे। इसी तरह वर्ष वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आयात करने वाले प्रमुख पाँच देश संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सिंगापुर तथा हांग कांग थे।

1.7 कर आधार

सीमा शुल्क राजस्व आधार में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक कोड[5] (आईईसी) के साथ जारी आयातक और निर्यातक शामिल होंगें। जनवरी 2014 तक 864022 वैद्य आइईसी हैं। वर्तमान में 345 क्रियाशील बंदरगाह है जिसमे 102 ईडीआई, 71 गैर-ईडीआई, 66 मैन्युअल एवं 106 एसईजेड समाविष्ट हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, 4.44 लाख करोड़ निर्यात एवं 26.70 लाख करोड़ आयात का लेन-देन किया गया था। उन्नीस व्यापार करार द्वारा कुछ प्रकार के टैरिफ रियायत **(परिशिष्ट 2)** छोड़े गये शुल्क

[5] आईईसी डीजीएफटी, दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।

(₹ 3,20,723.42) के साथ सीमाशुल्क प्राप्तियों (₹ 1,65,346 करोड़) की लेखापरीक्षा की जा रही हैं।

1.8 आयात एवं सीमाशुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

संग्रहित सीमाशुल्क राजस्व ने आयात के मूल्य के साथ क्रमवार वृद्धि नहीं हुई।

पिछले वर्ष में वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आयात के मूल्य ने 13.80 प्रतिशत (तालिका 1.5) वृद्धि दर्शायी। वित्तीय वर्ष 13 में सीमाशुल्क राजस्व की वृद्धि 10.73 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आयातों की कीमत ने 94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी थी, जबकि आयात शुल्क केवल 66 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि के दौरान शीर्ष शुल्क दर 10 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।

तालिका 1.5: आयात एवं सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	वृद्धि %	शुल्क का उच्चतम दर
वि.व. 09	1374436	35.77	99879	-4.07	10.00
वि.व. 10	1363736	-0.78	83324	-16.58	10.00
वि.व. 11	1683467	23.45	135813	62.99	10.00
वि.व. 12	2345463	39.32	149328	9.95	10.00
वि.व. 13	2669162	13.80	165346	10.73	10.00

स्रोत: यूनियन बजट, एक्जिम डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

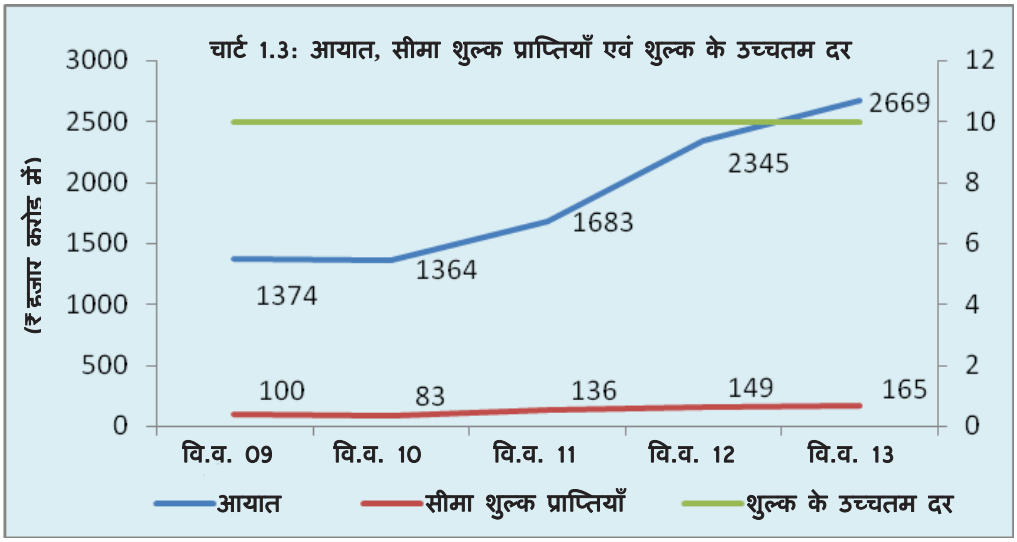

1.9 विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास निष्पादन की अधिक स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसके व्यापार आवंटन, क्रियाकलापों, निष्पादन और सफलता सूचकों के विषयों के अनुसार उद्देश्यों के परिणामों के ढांचागत दस्तावेज नहीं हैं।

हालांकि व्यापार नियमों डीओआर को आवंटित विषयों को निर्धारित करते है लेकिन परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)[6] में आवश्यक उपचारात्मक निष्पादन सूचको के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को नापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी) तैयार नहीं करता तथापि, ऐसा जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) वाले भारत सरकार के 74 अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है, समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट ही जिसमें पांच बड़े विभाग और कई आरसीज शामिल है।

1.10 सीमा शुल्क प्राप्तियों में बजटीय मुद्दे

संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में अस्थिर अन्तर ने सुझाया कि विभाग ने बजट पूर्व विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कोई तर्कपूर्ण पद्धति नहीं अपनाई थी।

बजट अनुमानों के वास्तविक सग्रहण में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-) 16.02 प्रतिशत से (+) 18.10 प्रतिशत के बीच था जैसाकि नीचे तालिका 1.6 में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों से संशोधित अनुमान भी (-) 7.52 प्रतिशत से (+) 3.04 प्रतिशत तक भिन्न थे।

[6] मंत्रीमंडल सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के अन्तर्गत आरएफडी को तैयार करना आवश्यक है।

तालिका 1.6: बजट और संसोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियों और बजट अनुमानों में अन्तर	वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता	वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता
वि.व.09	118930	108000	99879	(-)19051	(-)16.02	(-)7.52
वि.व.10	98000	84477	83324	(-)14676	(-)14.98	(-)1.36
वि.व.11	115000	131800	135813	(+)20813	(+)18.10	(+)3.04
वि.व.12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व.13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

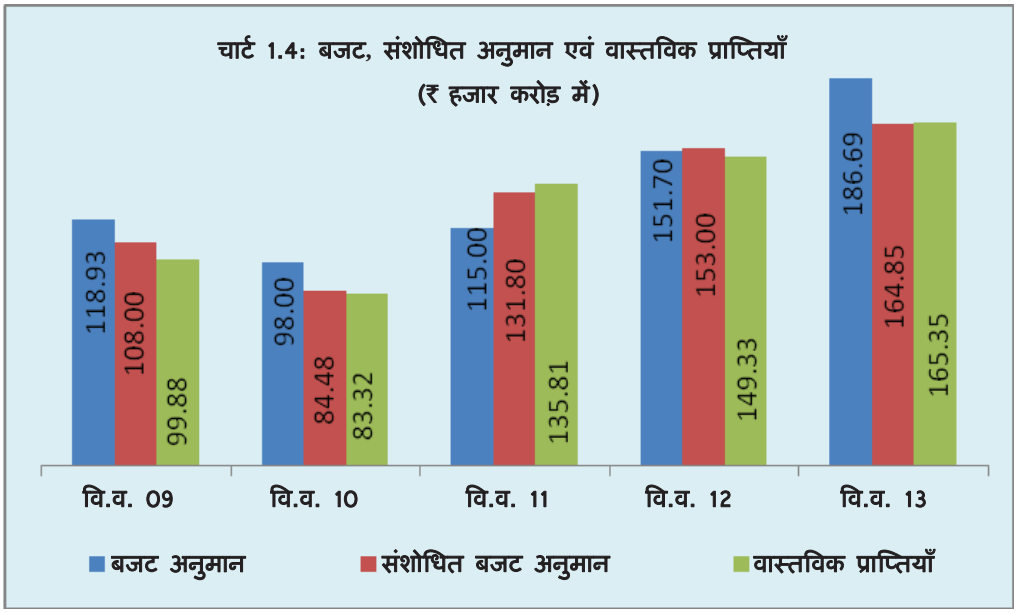

मंत्रालय ने कहा है कि (मार्च 2014) एक वित्तीय वर्ष में सीमाशुल्क राजस्व का संचयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कर नीति, आयात की मात्रा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं एवं आयातित माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का विनियम दर। एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक कारकों का वास्तविक व्यवहार वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व लगाये गये अनुमान से भिन्न हो सकता है। एक वर्ष में आर्थिक कारकों के कारण बीई/आरई के संबंध में अंतिम राजस्व प्राप्तियाँ घट अथवा बढ़ सकती हैं।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि यह सभी कारण बीई तैयार करने से पूर्व ज्ञात थे एवं उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, वहाँ आरई के रूप में हमेशा बीच में सुधार का एक अवसर व्यवहारिक आसु चित्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध था।

1.11 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा सीमा शुल्क राजस्व

छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व आयात में अनुरूप वृद्धि के बिना घाताँकीय रूप से बढ़ रहा है।

केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत शुल्क छूट की शक्तियों को जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिमय की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई ये दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती है।

इस प्रकार छोड़े गए राजस्व का भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने से संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया राजस्व = *मूल्य* **x** *(शुल्क की टैरिफ दर-शुल्क की प्रभावी दर)*

पिछले पाँच सालों के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशत के रूप में छोड़े गए राजस्व में 179 प्रतिशत से 295 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती है (तालिका 1.7)। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान छोडे गए राजस्व का 86 प्रतिशत कच्चा तथा खनिज तेल, हीरे तथा सोने, मशीनरी, खाद्य तेल तथा अनाज रसायन तथा प्लास्टिक पर हुआ था। निर्यात संवर्धन योजना के तहत छोडा गया राजस्व वित्तीय वर्ष 13 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों का 44 प्रतिशत था (तालिका 1.8)।

तालिका 1.7: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां (करोड़ ₹ में)	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोडा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोडा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	छोड़ा गया राजस्व सीमाशुल्क का प्रतिशत
वि.व.09	99879	225752	912.14	12116	238780.14	239.07
वि.व.10	83324	233950	2309.32	9219	245478.32	294.61
वि.व.11	135813	230131	3474.05	9001	242606.05	178.63
वि.व.12	149328	285638	3202.36	12331	301171.36	201.68
वि.व.13	165346	298094	3031.42	17355	318480.42	192.61

स्रोत: संघ प्राप्तियाँ बजट, सीबीइसी डीडीएम, सीबीइसी

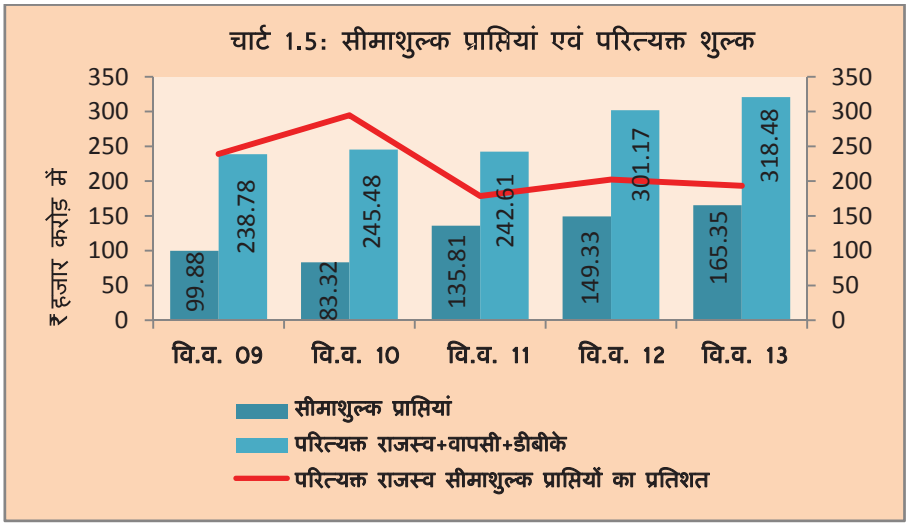

योजनागत परित्यक्त शुल्क वि.व. 09 से वि.व. 13 में 63 प्रतिशत से 44 प्रतिशत था (तालिका 1.8)। छोड़े गए राजस्व विवरण उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगा यदि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों और सामान्य छूटों का राजस्व प्राप्ति निर्धारण, यदि कोई किया गया हो को बजट दस्तावेज के हिस्से के रूप मे उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 1.8: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व

योजना का नाम	छोडी गई राशि/संवितरित				₹ करोड़
	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13
1. अग्रिम लाइसेंस	12389	10089.21	19355.28	18306.12	18971.02
2. एसईजैड	2324.29	3987.06	8630.16	4559.87	4490.58
3. ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	13400.65	8076.46	8579.87	4554.64	5881.06
4. ईपीसीजी	7832.71	7020.25	10621.24	9672.28	11218.25
5. शुल्क फिरती (नीचे की क्रम सं.8 को छोड़कर)	12116.07	9218.96	9001.39	12331.41	17354.72

योजना का नाम	छोडी गई राशि/संवितरित				₹ करोड़
	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	वि.व. 13
क्रम सं.8 को छोड़कर)					
6. डीईपीबी (नीचे की क्रम सं. 7 को छोड़कर)	7087.49	8008.45	8736.4	10404.37	2706.13
7. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त डीईपीबी लाभ	4.52	19.51	20.15	4.52	3.23
8. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त फिरती लाभ	4.45	12.28	17.85	2.55	8.92
9. डीएफआरसी	110.61	62.3	43.53	39.93	21.46
10. स्थिति धारको की डीएफईसीसी योजनाएं (अधि. 53/03-सीशुल्क)	342.32	179.74	96.6	69.93	94.81
11. स्थिति धारको की डीएफईसीसी (अधि.54/03-सीशुल्क)	75.4	54.16	59.79	120.42	47.10
12. टारगेट वाली योजनाएं-अधिसूचना सं. 32/2005-सी.शु और 73/2006 सीशुल्क	1220.12	267.28	373.99	436.31	592.05
13. विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना अधिसूचना सं. 41-2005 सीशुल्क	2059.11	2868.68	1788.48	2263.34	2382.37
14. भारत सेवी योजना की अधिसूचना सं. 92/2004-सीशुल्क	530.53	514.86	542.18	555.46	590
15. डीएफआईए योजनाएं-अधिसूचना सं. 40/2006-सीशुल्क	1267.6	1398.55	1403.99	1224.33	1735
16. फोकस मार्केट योजना-अधिसूचना सं. 90/2006-सीशुल्क	264.05	432.38	548.12	894.46	1599.28
17. फोकस उत्पाद योजना-अधिसूचना सं. 91/2006-सीशुल्क	144.16	396.26	1209.46	3056.31	4578.78
कुल	**61173.08**	**52606.39**	**71028.48**	**68678.39**	**72274.86**
सीमा शुल्क प्राप्ति का %	**61.25**	**63.13**	**52.30**	**45.82**	**43.54**

स्रोत: डाटा प्रबंधन निदेशालय, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

छोड़े गए राजस्व में मुख्य रूप से सहयोग करने वाली पहली पांच वस्तुएं है:

क. कीमती पत्थर, गहने

ख. खनिज ईंधन एवं खनिज तेल

ग. जानवर अथवा वनस्पति वसा

घ. मशीनरी

ङ. इलैक्ट्रिकल मशीनरी

1.12 सीमाशुल्क प्रक्रिया और सरलीकरण

आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) सभी सीमाशुल्क लेन-देनों के लिए लागू नहीं है।

सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सरलीकरण उपाय लागू करना जारी रखा। स्वनिर्धारण मुख्य व्यापार सरलीकरण उपाय जो उदपादशुल्क और सेवाकर विभाग के मामले में साक्ष्य के रूप सीमाशुल्क द्वारा आयतित निर्यात माल की निकासी हेतु लिए गए समय में महत्वपूर्ण कमी का परिणाम होगा। उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई का प्रारंभ आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए "स्व निर्धारण" और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम मापदंडों और आन साईट पोस्ट कलीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित बेतरतीब रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मलित है। आयात और निर्यात कार्गों की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को उत्तरोत्तर कम करने की मंशा है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरलीकरण हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृत को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा दत्त 4 प्रतिशत एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के हस्त पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है। सीमित बंदरगाहों पर समय विमोचन अध्ययन संचालित किया गया, किंतु वह सरलीकरण उपायों अथवा लेन-देन मल्यों में बचत से सहसंबंधित नहीं किया गया।

मंत्रालय ने कहा है कि (मार्च 2014) यदि सुचारू निकासी हेतु आवश्यक हो तो, समय विमोचन अध्ययन, सुचारू सीमाशुल्क निकासी में बाधा का पता लगाने के लिए संचालित किया गया है। प्रारंभ किए गए व्यापार सरलीकरण उपाय लेन-देन की लागत में कमी और बीताए हुए समय पर असर डालते हैं।

लेखापरीक्षा को यह ज्ञात नहीं था कि लेन-देन की लागत में कमी और बीताए गए समय पर इस प्रकार के अध्ययन का परिणाम सभी बंदरगाहों पर निर्धारित किया गया है।

1.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दशार्यी गई सुस्पष्टता पर और सभी, एयर कार्गों, सुमुद्री बंदरगाहों, भू-पतनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है। इसमें गैर-इडीआई बंदरगाह और एवं इडीआई बंदरगाह में सभी त्थीकरण शामिल नहीं है। आरएमएस द्वारा चिन्हित आयात लेन-देन की संख्या वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 16.31 से गिरकर वित्तीय वर्ष 13 (तालिका 1.9) में ₹ 7.07 लाख हो गई, जबकि आयात लेन-देन उसी अवधि में ₹ 53.33 लाख से ₹ 65.62 लाख बढ़ा। निर्यात में आरएमएस जुलाई 2013 में शुरू किया गया और दो बंदरगाहों में अगस्त 2013 तक आरएमएस द्वारा 3007 लेन-देन चिन्हित किए गए।

तालिका 1.9: आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन

आरएमएस द्वारा चिन्हित लेन-देन की संख्या	वि.व.11	वि.व.12	वि.व.13 (31.8.2013 तक)
आयात	16,31,287	12,52,001	7,04,184
निर्यात			3007

1.14 साइट पर पोस्ट क्लीयरेंस आंडिट (ओएसपीसीए) योजना

ओएसपीसीए के प्रस्तावना के पश्चात्, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से धीरे कर दी, जबकि दूसरी ओर, ओएसपीसीए पूरी तरह से शुरू नही हुई थी। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान, 434 नियोजित लेखापरीक्षा में से, 215 ईकाई ओएसपीसीए के अंतर्गत संचालित की गई जिनके परिणामस्वरूप ₹ 120.61 करोड़ की कम वसूली का पता लगा जिसमें से ₹ 2.91 करोड़ (2.41 प्रतिशत) की वसूली की गई।

आईसीटी एप्लिकेशन (आईसीईएस) का वर्तमान स्तर संवर्धित होने की आवश्यक्ता है एवं प्रभावी सरलीकरण हेतु स्वत: मूल्यांकन सभी सीमाशुल्क कार्मिक लेन-देनों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

1.15 24X7 सीमाशुल्क निकासी परिचालन

आयातकों एवं निर्यातकों को सुविधा देने के उद्देश्य से आयात एवं निर्यात की निम्न श्रेणियों के संदर्भ मे ज्ञात एयर कार्गो परिसरों (चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली एवं बैंगलोर) एवं बंदरगाह (कांदला, जेएनपीटी, चेन्नई, बैंगलोर) में 1 सितम्बर 2012 से प्रभावी बोर्ड ने 24X7 सीमा शुल्क निकासी प्रायोगिक आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया था:

क. जहां कोई जांच और मूल्यांकन आवश्यक न हो, प्रविष्टि के बिल प्रदान करना; और

ख. मुफ्त लदान बिल द्वारा शामिल फैक्टरी स्टाफ्ड एक्सपोर्ट, कंटेनर और निर्यात परेषण।

व्यापार को आगे सुविधा देने के उद्देश्य हेतु, 24X7 सीमा शुल्क निकासी संचालन का कार्यक्षेत्र चार ऐयर कार्गो परिसरों तक निर्यात परेषण को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। आगे, चयनित आयात और निर्यात दस्तावेजों के लिए 24X7 सेवाएं ईडीआई पर कार्य कर रहीं 17 संचालित एयरकार्गो परिसर तक बढ़ा दी गई हैं। यह पहल व्यापार एवं उद्योग द्वारा व्यापक रूप से सराही गई है, जबकि सीमाशुल्क स्टाफ की उपलब्धता एक बाधा है।

1.16 एकल विंडो सीमा शुल्क निकासी

लेन-देन के मूल्य एवं समय को कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से एक विंडो योजना का कार्यान्वयन सीमाशुल्क के साथ सीबीइसी ने इसके लिए प्रमुख एजेंसी होने की वजह से अवधारित किया था।

सीमा शुल्क में एकल विंडो व्यापारियों को इलैक्ट्रोनिकली सामान्य घोषणा फाइल करने और आयातित/निर्यातित माल की निकासी प्रक्रिया में लगी अन्य विनियामक एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की ओर लक्षित है। एकल विंडो व्यवस्था के अंतर्गत, अन्य विनियामक एजेंसियों से संबंधित फील्ड्स/सूचना डाटा, सीमाशुल्क द्वारा अनुमत होने से पूर्व निकासी/इनपुट पाने के लिए इलैक्ट्रॉनिकली प्रेषित किया जाता है।

1.17 वित्तीय वर्ष 12 से वि.व. 13 में विशेष आर्थिक ज़ोन का निष्पादन

व्यापक आर्थिक स्तर पर योजना के विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकला।

एसईज़ेड अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 572 अनुमोदन एसईज़ेड की स्थापना के लिए दिए गए, जिसमें से 389 अधिसूचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 48 अनुमोदनों को एसईज़ेड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इन एसईज़ेड में 38612 यूनिटें अनुमोदित हैं। कुल ₹ 288477 करोड़ का निवेश किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1239845 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ। इसने 2011-12 में ₹ 476159 करोड़ के निर्यात के साथ 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी (नीचे तालिका 1.10)। अधिनियम के लागू होने के बाद एसईज़ेड से निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज होने के बावजूद आर्थिक और सरकारी स्तर पर कोई राजस्व परिणाम विश्लेषण नहीं हुआ। चूँकि, अधिकतर उद्धृत निष्पादन आंकडों को जब अचलन और पृथक्कृत किया जाता है तो एसईज़ेड और एसईज़ेड यूनिटों के संबंध में कराधान नीति में परिवर्तन सहित मुक्त प्रभावों को दर्शाया जा सकता है।

तालिका 1.10: वि.व.12 से वि.व.13 में एसईज़ेड का निष्पादन

2011-12 में निर्यात	₹ 364477.73 करोड़ (2010-11 से अधिक 15.39% की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 32472.70 करोड़ (कुल उत्पाद का 8%)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹13881.20 करोड़ (कुल उत्पाद का 3.87%)
2012-13 में निर्यात	₹ 476159 करोड़ (2011-12 से अधिक 31% की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 2788.80 करोड़ (कुल उत्पाद का 5%)
डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹ 27545.46 करोड़ (कुल उत्पाद का 5%)

स्रोत: www.sezindia.nic.in

1.18 सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य

महानिदेशक मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया था जिसकी संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (समूह और व्यक्तिगत स्तर का), क्षमतानिर्माण, नीतिगत दृष्टि विकास और कल्याण और एक 68,795 मजबूत कार्य बल के लिए संरचनात्मक डिविजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका है। डीजी

निरीक्षण द्वारा फरवरी 2013 को सीबीईसी की पांचवर्षीय नीति योजना के लिए इनपुट मांगा गया ताकि;

क. जीडीपी अनुपात हेतु अप्रत्यक्ष कर को सुधारा जा सके;

ख. एक सुदृढ आरएमएस स्थापित किया जा सके जो सभी पत्तनों और लेने-देने को कवर किया जा सके;

ग. कर्मचारियों और अधिकारियों को आईसीईएस का निपुणता से प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिलाया जा सके;

घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्राक्रियाओं को सुदृढ किया जा सके;

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक राष्ट्रीय अकादमी ने 431 प्रशिक्षण कार्यक्रम (82 आईसीटी एवं 349 अन्य कार्यक्रम) चलाए। कुल 14,1615 प्रशिक्षित अधिकारियों में से 6,782 अधिकारी इस अवधि के दौरान (तालिका 1.11) आईसीटी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किए गए। वित्तीय वर्ष 13 के दौरान एनएसीईएन आरटीई मुम्बई और एनएसीइएन हैदराबाद द्वारा कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया गया, हालांकि डीजी, एनएसीईएन के अंतर्गत वहां 43 डिप्टी/सहायक आयुक्तों की अधिक/अतिरिक्त संख्या थी।

तालिका 1.11: वि.व. 13 के दौरान संचालित प्रशिक्षण

क्र. सं.	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के नाम	पाठ्यक्रम की संख्या और भाग लेने वाले			
		सूचना और संचार तकनीक संबंधी प्रशिक्षण (आईसीटी) सीबीइसी एवं क्षेत्र गठन पर लागू		आईसीटी प्रक्षिक्षण के अलावा	
		कोर्स की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कोर्स की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	एनएसीईएन फरीदाबाद	1	14	28	582
2.	एनएसीईएन आरटीआई दिल्ली	6	1319	58	751
3.	एनएसीईएन आरटीआई मुम्बई	21	-	110	-
4.	एनएसीईएन आरटीआई कोलकाता	22	828	58	1442
5.	एनएसीईएन आरटीआई चेन्नई	4	1363	11	696
6.	एनएसीईएन आरटीआई कानपुर	18	742	57	1576
7.	एनएसीईएन आरटीआई बैंगलोर	2	911	3	37
8.	एनएसीईएन आरटीआई बडोदरा	5	1152	57	1350
9.	एनएसीईएन आरटीआई हैदराबाद	40	-	53	-
10	एनएसीईएन आरटीआई पटना	24	453	77	1399
	कुल	**82**	**6782**	**349**	**7833**

स्रोत: सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं नार्कोटिक राष्ट्रीय अकादमी

आरएफडी वि.व. 13 पहले ही उपरोक्त दर्शाए गए महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करता है। सफलता संकेतक सरकार द्वारा स्वनिर्धारण, ओएसपीसीए आरएमएस और आईसीटी, सीसीईएस के प्रयोग के मामले में पहले से लिए गए कुछ नीति निर्णयों के साथ मेल खाएं। हालांकि सीमा शुल्क आन्तरिक रूप से सरकार की अन्य कर और विदेश नीतियों के साथ संबंधित है, स्वतंत्रता के आनंद के लिए प्रक्रिया को वर्तमान स्तर पर और रणनीति को वर्तमान उपलब्ध स्वयात्ता एवं भविष्य की संभावनओं के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है। उपयुक्त कौशल को पैना करने के बाद पुनर्गठन और पुर्नाबंटन के लिए प्रणालीगत स्तर को देखने और उसके बाद क्षमता अन्तराल को भरने की आवश्यकता है।

1.19 सीमा शुल्क की बकाया राशि

विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

सीमा शुल्क राजस्व की ₹ 11835.91 करोड़ की राशि जिसकी मांग मार्च 2013 तक जारी की गई थी जो विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 13 की समाप्ति तक उगाही नहीं गई थी (तालिका 1.12)। इसमें से ₹ 2,468 करोड़ निर्विवादित थे। तथापि, ₹ 1,253.93 करोड़ (51 प्रतिशत) निर्विवादित राशि की भी पांच वर्षों की अवधि से अधिक से वसूली नहीं की गई थी।

तालिका 1.12: सीमा शुल्क की बकाया राशि

₹ करोड़

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली के उ.शु.	61.41	1.35	0	62.76	2.01	19.16	0	21.17	83.93
चंडीगढ़	13.15	2.94	0	16.09	7.94	6.53	6.49	20.96	37.05
मेरठ	20.11	402.90	5.72	428.73	6.11	2.01	0.08	8.20	436.93
जयपुर	18.63	4.60	14.53	37.76	0.46	3.21	10.60	14.27	52.03
लखनऊ	0	0	1.86	1.86	0.95	0	0	0.95	2.81
दिल्ली निवारक	950.51	306.69	20.78	1277.98	37.86	52.11	44.32	134.29	1412.27
दिल्ली सीशु (निवारक)	385.06	5.36	22.42	412.84	320.14	4.56	0.31	325.01	737.85
दिल्ली एलटीयू	0	0	0	0	0	0	0	0	0

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				कुल जोड़ (कॉलम 5+9)
	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 2+3+4)	पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष लेकिन दस वर्ष से कम	दस वर्ष से अधिक	जोड़ (कॉलम 6+7+8)	
नागपुर	91.91	48.65	0.02	140.58	0.34	0.03	1.24	1.61	142.19
पूना	19.82	49.83	4.28	73.93	1.25	10.61	2.78	14.64	88.57
वडोदरा	150.01	2.70	10.66	163.37	2.35	2.62	8.42	13.39	176.76
अहमदाबाद के.उ.शु.	42.34	12.08	0	54.42	0	0	0	0	54.42
अहमदाबाद सीशु	1173.79	148.22	174.26	1496.27	10.41	1.09	46.42	57.92	1554.19
भोपाल	279.83	38.05	36.98	354.86	0.09	0	12.90	12.99	367.85
बैंगलौर सीशु	761.50	11.63	3.71	776.84	75.31	11.95	11.63	98.89	875.73
चेन्नई सीशु	511.42	246.15	37.52	795.09	91.99	249.74	33.30	375.03	1170.12
चेन्नई सीशु (निवारक)	17.56	2.60	1.26	21.42	53.82	19.83	1.17	74.82	96.24
बैंगलोर	58.57	49.66	17.67	125.90	0	0	0	0	125.90
चेन्नई	161.75	0.73	0.11	162.59	0	0.22	0.17	0.39	162.98
कोयम्बटूर	2.87	8.30	0.72	11.89	71.50	40.48	0.12	112.10	123.99
हैदराबाद	54.79	31.54	8.95	95.28	12.22	20.65	9.50	42.37	137.65
कोचिन	15.89	6.02	9.45	31.36	2.49	28.92	3.94	35.35	66.71
मैसूर	22.83	0.67	0	23.50	1.55	0	9.01	10.56	34.06
विशाखापट्नम	162.25	62.61	31.84	256.70	32.53	32.52	18.15	83.20	339.90
कोलकाता सीशु	287.28	19.33	16.75	323.36	34.02	38.44	23.21	95.67	419.03
पटना सीशु (निवारक)	0	0.02	0.48	0.5	0	2.29	0.31	2.60	3.10
भुवनेश्वर	0	12.49	2.27	14.76	0	0.37	0.31	0.68	15.44
शिलांग	0	2.68	0	2.68	9.93	0	0	9.93	12.61
मुम्बई सीशु जोन-I	530.22	255.86	22.19	808.27	279.88	67.78	151.75	499.41	1307.68
मुम्बई सीशु जोन-II	262.72	78.05	0.47	341.24	26.98	12.42	1.23	40.63	381.87
मुम्बई सीशु जोन-III	478.38	209.97	52.09	740.44	89.80	84.94	24.81	199.55	939.99
मुम्बई उ.शु-I	104.55	52.98	4.18	161.71	15.33	8.18	111.10	134.61	296.32
मुम्बई उ.शु-II	27.40	55.57	2.81	85.78	26.85	0	0	26.85	112.63
मुम्बई एलटीयू	0	67.11	0	67.11	0	0	0	0	67.11
कुल योग	**6666.55**	**2197.34**	**503.98**	**9367.87**	**1214.11**	**720.66**	**533.27**	**2468.04**	**11835.91**

स्रोत: मुख्य आयुक्त, कर शेष वसूली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर

मंत्रालय ने कहा है कि (मार्च 2014) कर शेषों की वसूली को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें बकाया का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस बनाना और फील्ड संगठनों द्वारा नियमित अद्यतन/समीक्षा, बकाया की नियमित जांच एवं फील्ड संगठनों को उचित कार्यवाही हेतु सलाह देना सम्मिलित हैं। फील्ड संगठनों को बकाया की वसूली हेतु अधिकारियों का एक समपर्तित दल बनाने

के लिए निर्देशित किया गया हैं, इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सेवा कर एवं सीमाशुल्क के राजस्व के बकाया की वसुली पर एक हस्त पुस्तिका प्रकाशित की गई है और सभी कार्यालयों को शेषों की प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने के लिए परिचालित की गई है।

लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए उपायों के परिणाम को भविष्य में अवलोकन करेगा।

1.20 महानिदेशक मूल्यांकन के कारण उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक मूल्यांकन (डीजीओवी) द्वारा दिए गए इनपुट के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों के दौरान उगाही गयी अतिरिक्त राजस्व को नीचे तालिका 1.13 में दिखाया गया है। पिछले पांच वर्षों में, संग्रहीत सीमाशुल्क राजस्व के प्रति उगाही गई राशि का अनुपात 0.68 से 0.85 प्रतिशत तक है। यद्यपि, घटे हुए टैरिफ और वर्गीकरण मूल्यांकन के बृहत् अन्तर को बड़े महत्व के लिए संतुलित किया जा सकता है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने कहा (नवम्बर 2013) कि डीजीओवी मूल्यांकन से पूर्व कोई निर्यात/आयात लेन-देन चिन्हित नहीं करता न ही मूल्य का निर्धारण करता है क्योंकि वसूली यह मूल्यांकन/निर्धारण कार्यालयों द्वारा किया जाता है; तदनुसार वि.व. 12 और वि.व. 13 के दौरान डीजीओवी द्वारा चिन्हित आयात एवं निर्यात का मूल्य प्रदान नहीं किया गया।

तालिका 1.13: महानिदेशक, मूल्यांकन के कारण उगाहा गई अतिरिक्त राजस्व

वित्तीय वर्ष	उगाही गई राशि ₹ करोड़	पिछले वर्ष से वृद्धि/कमी %	सीमाशुल्क प्राप्तियों का %
वि.व. 09	727		0.73
वि.व. 10	790	8.67	0.95
वि.व. 11	930	17.72	0.68
वि.व. 12	1096	17.85	0.73
वि.व. 13	1411	28.74	0.85

स्रोत: सीबीइसी, वित्त मंत्रालय

मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2014) कि उगाही गई अतिरिक्त राजस्व का कारण राष्ट्रीय आयात डाटाबेस (एनआईडीबी), मूल्यांकन चेतावनी और दिशानिर्देश और डीजीओवी द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग है। इन उपायों की प्रभाव कारिता अतिरिक्त राजस्व की

राशि से आंकी जा सकती है क्योंकि एक बार बढ़ाए गए अथवा सीमाशुल्क द्वारा अपलोड किए गए मूल्य बाद में आयातकों द्वारा स्वयं ही घोषित मूल्यों की तरह फाइल हो जाते हैं।

1.21 रक्षोपाय, एन्टीडम्पिंग और प्रति आर्थिक सहायता उपायों के कारण व्यापार उपचारात्मक शुल्क

सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत, महानिदेशक, रक्षोपाय भारत को एक वस्तु के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए ''गम्भीर क्षति'' अथवा ''गम्भीर क्षति की संभावना'' के होने की जांच करने और उनके परिणामों को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षित है। वित्तीय वर्ष 11 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान महानिदेशक, रक्षोपाय ने 19 जांचे जिन्हें तालिका 1.14 में दर्शाया गया है। रक्षोपाय उपाय परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के रूप में भी हो सकती हैं।

तालिका 1.14 रक्षा महानिदेशक द्वारा की गई जांच

	वि.व.11	वि.व.12	वि.व.13
चालु मामलों की संख्या	2	2	4
क्रियाशील एसजी की संख्या	3	3	5
सम्मिलित सामग्रियों के नाम (*)	(क) एन1, 3-डाईमिथाइल ब्यूटाइल एन' फिनाइलिन डाईअमीन (ख) अल्मूनियम फ्लैट शेल्ड उत्पादों और फॉइल 7606 एवं 7607 (समीक्षा)	(क) फ्थैलिक एनहाइड्राइड (ख) कार्बन ब्लैक	(क) डाइऑक्टाइल फ्थैलेट (डीओपी) (ख) 8 लैक्ट्रिकल इन्सुलेटर (ग) हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद और स्टेनलैस स्टील 304 ग्रेड (घ) फ्थैलिक एनहाइड्राइड (समीक्षा)

*स्रोतः रक्षा महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीयउत्पाद शुल्क

1.22 एन्टी डम्पिंग शुल्क

महानिदेशक एटीडम्पींग ने प्रथम एन्टीडम्पिंग जांच 1992 में प्रारम्भ किया था। इस अवधि के दौरान डीजीएडी को एन्टी डम्पिंग जांचे प्रारम्भ करने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। वि.व. 11 से वि.व. 13 के

दौरान 97 मामलों में एन्टी-डम्पिंग जांचे प्रारम्भी की गई और 31 देशों को शामिल करते हुए 108 मामलों की अंतिम रूप दिया गया।

चीन पीआर, ईयू, चाइनेज ताईपे, कोरिया आरपी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि एन्टी-डम्पिंग शुल्क जांचों में प्रमुख देश हैं।

मुख्य उत्पाद वर्ग जिस पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क उद्ग्रहीत किया गया हैं पीवीसी रेजिन, केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातु और उपभोक्तावस्तुएं। उपचारात्मक उपायों के कारण संग्रहीत शुल्क कुल सीमा शुल्क की तुलना में नाम मात्र है। कुल सीमाशुल्क का नगण्य (0.020 प्रतिशत वर्ष 2013 में) भाग बनता है। तथापि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आयातकों द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क से बच निकलने के तरीके देखे गए हैं।

1.23 कर अपवंचन, जांच और जब्ती

शुल्क अपवंचन मामलों की प्रवृत्ति बढ रही है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क-अपवंचन मामलों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि पिछले 5 वर्षों (वि.व.9 से वि.व.13) के दौरान संख्या में एवं राशि दोनों के मामलों में उपवंचन की अपवंचन की प्रवृत्ति बढ रही थी। जैसाकि **परिशिष्ट 3** में दिखाया गया है। उसी अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामलें 340 से बढ़कर 709 और ₹ 1,529 करोड़ से ₹ 4,743 करोड़ के हो गए थे। यह वह अवधि भी थी जब विभिन्न आईसीटी उपाय उपयोग में लाए गए थे और स्वयम् निर्धारण, आरएमएस आधारित पीसीए एवं खुफिया जानकारी को प्रारम्भ किया गया और धीरे-धीरे ओएसपीसीए में परिवर्तित किया जाना था।

डीआरआई इकाई (सीबीईसी) ने ₹ 9553.45 करोड़ के कर चोरी के 2548 मामलों का वि.व.09 से वि.व.13 के दौरान पता लगाया। सम्मिलित उत्पाद मुख्यत: सेकेण्ड हैंड मशीनरी, इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं, मेमरी कार्ड, हेलिकॉप्टर, महँगी कारे, मोबाइल फोन और इनकी बैटरियां, वाहन और उनके भाग, कच्चे हीरे और गहने थे।

1.24 निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति

वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट पण्यों की जब्त की संवीक्षा (परिशिष्ट 4) के दौरान यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तर पर निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

यह देखा गया था कि अखिल भारतीय स्तरों पर जब्ती की कुल राशि क्रमश: ₹ 1556.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 1619.97 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि मशीनरी/पुर्जे, फेब्रिक्स/सिल्क यार्न आदि, इलेक्ट्रानिक मदें, नार्कोटिक ड्रग्स एवं वाहन/पोत/एयर क्राफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था।

1.25 वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 12 तक संग्रहण की लागत

आईसीटी के स्वचलन और व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत पर्याप्त मात्रा में घटी नहीं हैं।

आईसीटी के स्वचालन और व्यापक उपयोग के बावजूद संचयन का मूल्य निरंतर तेजी प्रवृति दिखा रहा है। प्राप्तियों को प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त, वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 (तालिका 1.15) के दौरान, संचयन का मूल्य 1 से 2 प्रतिशत की सीमा में था। सीबीइसी ने लेखापरीक्षा को संग्रहण की समग्र लागत में आरक्षित निधि और जमा खाता व्यय की गणना के लिए कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं की थी।

तालिका: 1.15: वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व, आयात निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि जमा लेखा और अन्य व्यय को स्थानांतरण	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्तियां	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.09	234.56	989.28	11.65	1235.49	99879	1.24
वि.व.10	304.38	1217.85	9.83	1532.06	83324	1.84
वि.व.11	292.89	1420.71	4.76	1718.36	135813	1.27
वि.व.12	306.05	1577.31	5.02	1888.38	149876	1.26
वि.व.13	315.09	1653.28	10.49	1978.93	165346	1.20

स्रोत: वित्त लेखों से आंकड़े

1.26 लेखापरीक्षा आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने जोखिम निर्धारण के अनुसार नियंत्रण आधारित आश्वासन मुहैया नहीं कराती।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा (प्री सीसीए) द्वारा की जाती है, सीबीईसी का उद्देश्य सीबीईसी के विभिन्न भुगतान और लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा है। यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक एकीकृत भाग है फिर भी प्री सीसीए की आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने 83 आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराओं की लम्बन की संख्या का दशा्रया। (प्रधान मुख्य नियंत्रक दिनांक 1 अक्तुबर 2013 पत्र डीओ संख्या, आईए/एनजेड/एचक्यू/सीएजी आईएनएफओ/ 2013-14/157)।

प्री सीसीए लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व.13 तक स्थापना लेखापरीक्षा के अलावा निम्नांकित अनियमितताएं शामिल है:

क. राजस्व प्राप्तियों का असमाधान; कम क्रेडिट ₹ 2.86 करोड़ करोड़, अधिक क्रेडिट ₹ 2.62 लाख करोड़।

ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के शेषों का अनुदग्रहण, राजस्व (निश्चित मांग); ₹ 0.19 लाख करोड़।

ग. ₹ 117.67 करोड़ के जब्त किए गए माल का निपटान न करना और निपटान में विलम्ब।

घ. सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत निकायों से देयों की गैर-वसूली; ₹ 0.11 लाख करोड़।

1.27 तकनीकी लेखापरीक्षा का प्रभाव-डीजी (आडिट), सीबीईसी

सीमाशुल्क विभाग 1994 में आईसीएस शुरू करके कम्प्यूटराइज्ड किया गया जो कि आगे आईसीईएस 1.5 संस्करण (2009) में अपग्रेड किया गया। इसने प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण अधिसूचना आदि जैसे कारकों की फ्लैगिंग द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) शुरू की है। कम्प्यूटराइजेशन आयातित और निर्यातित माल की प्रक्रिया के निर्धारण में सुधार चाहता है और कर की उचित गणना, टैरिफ की आवेदन, छूट अधिसूचना का आवेदन, सामान्यत: माल का गैर वर्गीकरण में अनियमितताओं को कम करना चाहता है।

विभागीय लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन और अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस विषय पर नये अनुदेश जारी किये। निम्न तालिका 1.16 वि.व.11 से वि.व.13 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाता है। पता लगाया गया/उगाया गया शुल्क, सीमा शुल्क राशि प्राप्तियों का नगण्य प्रतिशत था।

तालिका 1.16: वि.व.11 से वि.व13 विभागीय लेखापरीक्षा

₹ करोड़

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षा की संख्या	पता लगाई गई शुल्क की राशि	वसूल की गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में पता लगाई गई शुल्क राशि	पता लगाई गई % के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व.11	323399	548.48	447.20	0.004	0.82	0.003
वि.व.12	525406	438.73	459.04	0.223	104.62	0.003
वि.व.13	446911	1824.13	741057.61	0.10	0.58	0.006

स्रोत: लेखापरीक्षामहानिदेशालय, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

1.28 लेखापरीक्षा प्रयास एवं सीमाशुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन पेशेवर मानकों के लेखापरीक्षा मानक के दूसरे संस्करण 2002 का प्रयोग करके नियंत्रण-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणता प्रबंधन ढांचा, 2009 के अनुसार किया जाता है।

1.29 जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

वाणिज्यिक विभाग (डीओसी) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ डीओआर, सीबीईएस संघ सरकार लेखे से डाटा, सीमाशुल्क का वार्षिक डाटा डम्प (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित अभिगम का आईसीईएस 1.5 का प्रयोग किया जाता था। सीबीईएस के एमआईएस, एमटीआर अन्य हितधारकों के रिर्पोटों के साथ प्रयोग किये गए। महानिदशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हमारे पास हैं, जिन्होंने

वि.व. 13 में 532 इकाइयों के लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और 14020 लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी कीं।

अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय एक सीमाशुल्क राजस्व ढांचे समग्र सकल संघ राजस्व के संबंध में राजकोषीय आकार और महत्व का विशलेषण करता है। परिणामी विषय क्षेत्र की लेखापरीक्षा की गई और अध्याय दो में प्रस्तुत की गई, जो योजना आधारित शुल्क छूट या छोड़े गए शुल्क उपशमन पर आपत्तियां प्रतिवेदन करता है, जबकि अध्याय तीन सामान्य छूट के गलत निर्धारण के मामले, अध्याय चार गलत अनुप्रयोग के मामले, और सीमाशुल्क कर की वापसी पर विषयक आधारित लेखापरीक्षा एवं अध्याय पांच माल गलत वर्गीकरण के मामले उजागर करता है, अध्याय छह नार्कोटिक पदार्थ के प्रबंधन पर है और अध्याय सात 'जब्त एवं अधिग्रहित माल' आयात सामान्य मालसूची और निर्यात सामान्य मालसूची, सार्वजनिक एवं निजी बंधुआ गोदाम पर विषयक आधारित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर है। वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 1792.73 करोड़ के 55 पैराग्राफ हैं। हमने मार्च 2013 (अनुबंध-I) तक आयोजित लेखापरीक्षा के लिए 84 अन्य पैराग्राफ जारी किए थे। वहां सामान्यत: छह प्रकार की आपत्तियाँ थी: गलत वर्गीकरण, छूट अधिसूचना का गलत एप्लिकेशन; अधिसूचना की शर्त पूरी नहीं की गई, गलत गणना के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट और सीमाशुल्क कर का गलत निर्धारण। विभाग/मंत्रालय ने ₹ 39.67 करोड़ मूल्य के इन 84 पैराग्राफों में कारण बताओं ज्ञापन जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों में निर्णय लेकर उपचारी कार्यवाही पहले ही कर ली तथा कुछ मामलों में वसूली की सूचना दी।

इसके अतिरिक्त, इस वर्ष लेखापरीक्षा ने जब्त और अधिग्रहित माल के निपटान, सीमाशुल्क कर की वापसी, आयात सामान्य मालसूची (आईजीएम)/निर्यात सामान्य मालसूची (ईजीएम), अग्रिम प्राधिकार, सार्वजनिक/निजी बंधुआ गोदाम और विदेशी व्यापार नीति (अध्याय 3) के अंतर्गत प्रचार के उपाय।

मार्च 2013 को कई प्रक्रियों तथा क्षेत्रों पर हमारे बताये गये निष्कर्ष और उपचारी कार्यवाही की स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है:

तालिका सं. 1.17: अनुपात लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई उपचारात्मक कार्यवाही

प्रतिवेदन संख्या.	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
1998 (सी.शु.) का सीए 10	1	-	-	-
2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7		-	2	-
2008 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7		-	1	-
2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20		-	4	-
2009-10 का सीए 14		-	2	-
2010-11 का सीए 24		-	2	-
2011-12 का सीए 31	2		3	4
2013 का सीए 14		15	6	2
कुल	**3**	**15**	**21**	**6**

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय

1.30 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

योजना के परिणामों के बताने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि विशिष्ट निष्पादन संकेतकों और सफलता मापों के अभाव के कारण परिणाम को मापना मुश्किल था। 2004-05 से आगे प्रतिवेदनों ने सिफारिशें देने आरम्भ की गई, इस वर्ष हमने शुल्क हकदारी पास बुक योजना, भारतीय सीमाशुल्क इलक्ट्रॉनिक डाटा ईटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) और विशेष आर्थिक जोन पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित की है। सामान्यता पेशेवर लेखापरीक्षा मानक और निष्पादन लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश 2004 को अपनाते हुए योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए पांच वर्ष की अवधि ली जाती है।

1.31 लोक लेखा समिति (पीएसी):

लोक लेखा समिति ने चर्चा के लिए तीन समीक्षाएं (आंशिक या पूर्ण) उठाई है, जो शुल्क वापसी योजना; मानित निर्यात और एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति हैं। पीएसी को अग्रिम प्रश्नावली व्यापक तौर पर कर नीति के स्तरों, प्रशासन और कार्यान्वयन पर आधारित है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमी, योजना परिणाम के साथ-साथ अपर्याप्त जांच पर भी देखा गया है।

1.32 सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित); हमने ₹ 2161.12 करोड़ के 635 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका1.18)। सरकार ने इनमें से ₹ 290.80 करोड़ वाले 617 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ 110.96 करोड़ की वसूली की।

तालिका 1.18: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

₹ करोड़

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ						की गई वसूली					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व. 09	133	56.20	101	33.75	45	14.72	146	48.47	68	16.54	33	5.760	101	22.30
वि.व. 10	124	79.62	102	32.71	16	4.10	118	36.81	63	18.01	3	0.37	66	18.38
वि.व. 11	118	130.61	102	98.68	29	17.81	131	116.49	56	17.81	3	4.07	59	21.88
वि.व. 12	121	62.28	108	47.67	14	11.19	122	58.86	79	29.66	9	1.31	88	30.97
वि.व. 13	139	1832.41	100	65.78	लागू नहीं		100	65.78	63	17.43	लागू नहीं		63	17.43
जोड़	**635**	**2161.12**	**513**	**278.59**	**104**	**47.82**	**617**	**290.80**	**329**	**99.45**	**48**	**11.51**	**377**	**110.96**

स्रोत: सीएजी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन